

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थनापत्र प्र0स0 – 103/17

अनवान

- 1 गोवर्धन गिरी पिता धन्ना गिरी उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा

(प्रार्थी)

बनाम

1. जमनालाल पिता रामकरण जाट उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. बालु पिता मूला जाट उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. डूंगर सिंह पिता मोहन सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. भंवरसिंह पिता बाघसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. भैरु गिरी पिता राजेन्द्र गिरी उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. शम्भु गिरी पिता उंकार गिरी उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. रमेश पिता मोहन पुरोहित उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. श्याम गिरी पिता कान गिरी उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 26.09.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 01.08.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम डाबला पटवार मण्डल डाबला भू0अ0नि0 डाबला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 164 के आ0न0 2516/2199 रकबा 17-04 बीघा, स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.08.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 26.09.2017 को विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम डाबला पटवार मण्डल डाबला भू0अ0नि0 डाबला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 164 के आ0न0 2516/2199 रकबा 17-04 बीघा, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक डाबला को 1800/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/प्रकरण संख्या/ 103/2017

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार, बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो।

दिनांक: 26.09.2017

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थनापत्र प्र0स0 – 103/17

अनवान

1 गोवर्धन गिरी पिता धन्ना गिरी उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा _____ (प्रार्थी)

बनाम

1. जमनालाल पिता रामकरण जाट उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. बालु पिता मूला जाट उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. डूंगर सिंह पिता मोहन सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. भंवरसिंह पिता बाघसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. भैरु गिरी पिता राजेन्द्र गिरी उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. शम्भु गिरी पिता उंकार गिरी उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. रमेश पिता मोहन पुरोहित उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. श्याम गिरी पिता कान गिरी उम्र वयस्क निवासी डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा _____ (अप्रार्थीगण)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 26.09.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 01.08.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम डाबला पटवार मण्डल डाबला भू0अ0नि0 डाबला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 164 के आ0न0 2516/2199 रकबा 17-04 बीघा, स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.08.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 26.09.2017 को विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हें शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम डाबला पटवार मण्डल डाबला भू0अ0नि0 डाबला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 164 के आ0न0 2516/2199 रकबा 17-04 बीघा, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक डाबला को 1800/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
राज.